

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 174/2014

संस्थित दिनांक-25/06/2014

फाईलिंग नंबर-230303008162014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- नवलकिशोर शर्मा उर्फ नेपाली शर्मा,
पुत्र भागीरथ शर्मा उम्र 32 साल
- 2- रामदुलारे शर्मा उर्फ गुटाली शर्मा पिता भागीरथ शर्मा,
उम्र-35 साल, निवासीगण ग्राम पड़रिया,
परगना गोहद जिला भिण्डआरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री टी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 27 अप्रैल 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 294 एवं 302/149 भा0द0वि0 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 24/02/2014 दिन के 11-12 बजे फरियादी रामशरन शर्मा के घर के सामने आम रास्ता ग्राम पड़रिया में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उस जमाव के उक्त सामान्य उद्देश्य मृतक अशोक शर्मा की हत्या करने के लिए किया और उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया व फरियादी रामशरन व अन्य को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा मृतक अशोक को लात-घूसों से मारकर उसकी साशय हत्या कारित की ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण आपस में सगे भाई हैं एवं फरियादी एवं आरोपीगण एक ही ग्राम के निवासी हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि.-24/2/14 को दिन के 11-12 बजे फरियादी जब अपने घर के गौडा में था उस समय रास्ते में पंचायत की तरफ से मुरम डाली जा रही थी तब आरोपीगण द्वारा मुरम डालने का विरोध

किया, वहीं उसके उसके चचेरे भाई अशोक ने आरोपीगण से मना किया, तब आरोपीगण ने एक राय होकर मादरचोद रोज रोज परेशान करता है कहते हुए बोले कि खत्म कर देते हैं इसे, फिर आरोपीगण ने जान से मारने की नीयत से लातघूसों से अशोक को मारना शुरू किया, जिससे वे जमीन पर गिर गये उनकी मौत हो गयी । उक्त घटना गांव के रामौतार, मेघसिंह व अन्य लोगों ने देखी थी । परिवादी द्वारा उक्त आशय की देहाती नालसी क्रमांक-6/14 पर लेख करायी गयी ।

4. फरियादी की उक्त देहाती नालसी पर से रिपोर्ट पर से थाना में आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-75/2014 धारा-294, 302, 34 भा0द0वि0 का पंजीबद्ध किया गया है । मृतक का पी0एम0 परीक्षण कराया गया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र ए0सी0जे0एम0 गोहद न्यायालय में पेश किया गया । जहां से प्रकरण उपार्पित किए जाने पर मा0 सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 294 एवं 302/149 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है । उनकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है ।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- अ- क्या दि.-24/02/2014 को दिन के करीब 11-12 बजे ग्राम पड़रिया में आरोपीगण ने लोक स्थान पर रामशरण व अन्य को मां बहिन की संतृप्त करने वाली अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- ब- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने अन्य अभियुक्तगण भीकाराम, सतेन्द्र व आनंद शर्मा के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया था ?
- ब- क्या उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन अशोक शर्मा की हत्या करने के उद्देश्य से करते हुए बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
- स- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण ने अन्य सह अभियुक्तों के

साथ निर्मित किए गये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मृतक अशोक शर्मा को लातघूसों से साशय मारकर उसकी हत्या कारित की ?

- द- क्या, उक्त सुसंगत घटना में आरोपीगण का मामला धारा-300 भा0द0वि0 के चारों खण्डों में से किसीके अंतर्गत आता है और अपवादों में नहीं आता है ?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

7. अभियोजन की ओर से प्रकरण में महेन्द्र कुशवाह(अ0सा0 1), रिशीकेश (अ0सा0 2), देवी सिंह (अ0सा0 3), डॉ आर0 विमलेश (अ0सा0 4) चतुराबाई (अ0सा0-5), प्र.आर. निहाल सिंह (अ0सा06), रामशरण शर्मा (अ0सा07), रामौतार शर्मा (अ0सा08), पटवारी हाकिम सिंह चौरसिया (अ0सा09), मेघ सिंह (अ0सा0-10), संजय शर्मा (अ0सा0-11), एस0आई0 सोनपाल सिंह (अ0सा0-12), आरक्षक राजेश कुमार (अ0सा0-13), ए0एस0आई0 प्रमोद सिंह भदौरिया (अ0सा0-14), राधेश्याम शर्मा अ0सा0-15, दिनेश शर्मा अ0सा0-16, आरक्षक प्रदीप पचौरी अ0सा0-17 एवं निरीक्षक कुशल भदौरिया अ0सा0-18 की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में पेश नहीं की गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत-प्रदर्श पी.-16 के दस्तावेज एवं आर्टिकल ए लगायत-डी तक के फोटो प्रदर्शित कराये गये हैं ।

-:- विचारणीय बिन्दु क्रमांक-अ -:-

8. उक्त प्रकरण में अभियोजन के कथानक मुताबिक ग्राम पडरिया में सार्वजनिक रास्ता पर मुरम डालने का कार्य हो रहा था, जिसमें अवरोध उत्पन्न करते हुए आरोपीगण के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक को इस बात पर मादरचोद की गाली देना बताया है कि मुरम डालने से रोकने पर रोज-रोज गालियां देकर परेशान करता है, किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर किसी भी साक्षी के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य नहीं आया है तथा परीक्षित साक्षियों में से किसीने भी आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा कोई भी अश्लील गाली देने की बात नहीं बतायी है । प्रदर्श पी.-8 की देहाती नालसी लिखने वाले रामशरण शर्मा अ.सा.-7 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कोई गालियां का उल्लेख नहीं किया है, जो कि मृतक का चचेरा भाई भी है ।
9. ऐसे में अभिलेख पर आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा अश्लील गालियां देने की पुष्टि नहीं होती है, जहां तक घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श पी.-9 का प्रश्न है, जिसमें मृतक अशोक शर्मा की लाश आम रास्ता पर फैली हुई मुरम के पास दर्शाया है, परीक्षित

साक्षियों में से महेन्द्र कुशवाह अ.सा.-1 फोटोग्राफर ने भी रास्ता पर पड़ी अवस्था में मृतक की फोटो का लेना बताया है । प्रदर्श पी.-1 सफीना फॉर्म और प्रदर्श पी.-2 लाश पंचायतनामा के पंच साक्षी रिषीकेश अ.सा.-2 रामशरण शर्मा अ.सा.-7, रामौतार अ.सा.-8, संजय शर्मा अ.सा.-11, ए.एस.आई. प्रमोद भदौरिया अ.सा.-14 ने भी आम रास्ता को घटनास्थल के रूप में बताया है । पटवारी हाकिम सिंह अ.सा.-9 के द्वारा बनाये गये नक्शा मौका प्रदर्श पी.-13 में भी घटनास्थल को रास्ता का दर्शाया है । ऐसे में घटनास्थल लोक स्थान की श्रेणी में तो आता है, किन्तु अश्लील शब्दों को उच्चारित करने की साक्ष्य न होने से धारा-294 भा0द0वि0 का आरोप कतई प्रमाणित नहीं होता है और संदिग्ध है, जिसका आरोपीगण लाभ पाने के पात्र हैं । अतः धारा-294 भा0द0वि0 के आरोप से आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

शेष विचारणीय प्रश्न क्रमांक- ब,स,द का निराकरण

10. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
11. सर्वप्रथम अभिलेख पर साक्षियों में से चिकित्सीय साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाना उचित व आवश्यक होगा । प्रकरण में अभियोजन की ओर से मृतक अशोक शर्मा का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर आर0 विमलेश अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि0-24/02/2014 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए पुलिस मौ द्वारा मृतक अशोक शर्मा पुत्र राम नारायण शर्मा का दोपहर 04:35 बजे शव परीक्षण करना बताया है, जिसके बाह्य परीक्षण में शरीर पीला बताते हुए शरीर में अकड़न मौजूद होना बताया था तथा आंतरिक परीक्षण में मृतक की श्वास नली सफेद होना, दाया और बाया फेंफड़ा पीलोर (खून की कमी) पाते हुए हृदय के दोनों कोष्ठ खाली पाये थे, गुर्दा, तिल्ली, लिवर पिलोर पाये थे । मूत्राशय में अल्प मात्रा में पेशाब पाते हुए उसकी तिल्ली बड़ी पायी थी, जिसका आकार 18.2 X 10.2 2 X 04.3 से.मी. था, तिल्ली आगे की ओर अनियमित आकार में फटी हुई थी, जिसका आकार 03.2 X 02.1 X 1.6 से.मी. था, तिल्ली की चोट मृत्यु पूर्व होकर प्राणघातक बतायी थी ।
12. उक्त चिकित्सक के द्वारा मृतक अशोक शर्मा के शव परीक्षण उपरांत प्रदर्श पी.-4 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए उसकी मृत्यु का कारण मृतक की तिल्ली फटने से उत्पन्न रक्तस्राव

के कारण सदमे से होना बताया है, जो कि शव परीक्षण के 24 घण्टे के अंतर की थी और मृतक की तिल्ली कैसे फट गयी, इस संबंध में उसने पुलिस अनुसंधान का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था ।

13. उक्त चिकित्सक ने पैरा-5 में यह तो स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर में रक्त की कमी थी और वह कमजोर था तथा उसके शरीर पर कोई बाहरी दृश्यमान चोट नहीं थी । किन्तु उसने इस बात से इंकार किया है कि मृतक अशोक की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी या उसके शरीर में खून की अत्यधिक कमी के कारण हुई । हालांकि पैरा-06 में उसने स्वीकार किया है कि मृत्यु के कारण में उसने शब्द 'सिमकोप' अंकित किया है, जिसका आशय तिल्ली के फटने से खून की कमी के लक्षण के रूप में लिखा जाता है । इस बात से भी उसने इंकार किया है कि उसने एनीमिया के कारण स्वाभाविक मृत्यु हुई, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी के कारण (एनीमिया) से होती है तो वे कंजस्टेड कॉर्डियो फेल्युअर लिखते हैं । उसने यह स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर में हीमोग्लोबिन की खून में मात्रा कितनी थी, इसकी जांच नहीं की, जबकि मृत शरीर से जब तक खून मृत न हो जाये हीमोग्लोबिन का प्रतिशत निकाला जा सकता है ।
14. उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में व्यक्त किया है कि मृतक अशोक शारीरिक रूप से कमजोर था । वह 8-10 साल से बीमार चल रहा था, जिसके कारण उसकी तिल्ली फटने से उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है और गांव की चुनावी रंजिश पर से आरोपीगण को झूठा फंसा दिा है, जो मृत्यु का कारण सिमकोप से स्पष्ट होता है, इसलिये स्वाभाविक मृत्यु मान्य की जावे, जबकि विद्वान ए.जी.पी. ने तर्क किया है कि चिकित्सक ने विशेषज्ञ के तौर पर प्राकृतिक रूप से मृत्यु की संभावना से इंकार किया है और स्वाभाविक मृत्यु नहीं है ।
15. प्रदर्श पी.-4 के शव परीक्षण प्रतिवेदन के अध्ययन करने पर उसमें मृतक के शरीर पर बाहरी दृश्यमान कोई चोट नहीं पायी गयी है । अभियोजन के कथानक में मुरम डालने के ऊपर से हुए विवाद के चलते आरोपीगण का एक राय होकर लातघूसों से मृतक को मारपीट कर प्राण घातक चोटें पहुंचायी जाना बताया है, जिसके कारण उसकी तिल्ली फटने से मृत्यु हुई । शव परीक्षण प्रतिवेदन में पृष्ठ क्रमांक-4 में जो अंगों का विवरण दिया गया है उसमें बाहरी रूप के विवरण में क्रमांक-01 पर इस बात का उल्लेख है कि मृतक दुबले शरीर का था, अर्थात् उसकी शारीरिक संरचना कमजोर थी और उसके कहीं कोई चोट नहीं पायी गयी थी । कपाल और मेरुदण्ड तथा वक्षस्थल और उदर के अंगों में से आंतों की छिल्ली

पेल पायी गयी है, शेष ज्यनेन्द्रियां स्वस्थ पायी गयी है । किन्तु चिकित्सक ने स्वभाविक मृत्यु की संभावना से स्पष्ट तौर पर इंकार किया है और खून की कमी मृत्यु का कारण नहीं है, बल्कि आंतरिक अंग तिल्ली का फटना मृत्यु का कारण बना है । उक्त चिकित्सक अ0सा0-4 के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्वभाविक मृत्यु होती है, तब वह “कंजस्टेट कॉर्डियो फेल्युअर” शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिये “सिमकोप” शब्द के इस्तेमाल के आधार पर स्वभाविक मृत्यु नहीं मानी जा सकती है । जहां तक मृत्यु की प्रकृति का प्रश्न है, चिकित्सक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस बात की भी राय व्यक्त की गयी है कि तिल्ली कैसे फटी इस बारे में पुलिस अनुसंधान करे अर्थात् चिकित्सक तिल्ली फटने के कारकों के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिये यह परिस्थितियों व अन्य साक्ष्य से आंकलित करना आवश्यक है । मृतक अशोक की तिल्ली फटने का क्या कारण रहा ? हस्तगत मामले में तो आरोपीगण द्वारा एक राय होकर लातघूसों की गयी मारपीट के फलस्वरूप तिल्ली फटने की घटना बतायी गयी है, इसलिये यह देखना होगा कि मारपीट की क्या घटना घटित हुई, या नहीं ? जो कि परीक्षित साक्षियों से मूल्यांकित होगा, क्योंकि अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी बताये गये हैं और मौके पर आये साक्षी भी बताये गये हैं और उन्हें अभियोजन की ओर से विचारण में साक्षी के तौर पर पेश भी किया गया है ।

16. धारा 300 भा0द0सं0 के मुताबिक एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानवबध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जसको वह अपहानि कारित की गई है अथवा

तीसरा— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा—यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखित उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें । इसी धारा में उन पांचों अपवादों का उल्लेख भी किया गया है जब कि आपराधिक मानवबध हत्या की कोटि में नहीं आएगा । पहला—प्रकोपन जो गंभीर और अचानक उत्पन्न होता है, दूसरा— प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

तीसरा— विधिक शक्तियों का प्रयोग चौथा— पूर्व चिंतन व आदेश की तीव्रता तथा पांचवा— सहमति के रूप में रेखांकित किया जा सकता है ।

17. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दाण्डिक मामले में प्रमाण भार हमेशा अभियोजन पर ही होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे। बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **प्रहलाद विरुद्ध म०प्र० राज्य आई०एल०आर०(2011) एम०पी० पेज 489** में प्रतिपादित किया गया है तथा न्याय दृष्टांत **विजय सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1980 पेज-1459** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यह मानकर चला जाता है कि आरोपी निर्दोष है, जबतक कि वह दोषसिद्ध न हो जाये और न्याय दृष्टांत **भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी.ए.आई.आर. 1976 एस.सी. पेज-973** में यह मार्गदर्शित है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है, वह उसे ही साबित करनी चाहिये । इसलिये इस प्रकरण में जो कथानक बताया गया है उसे युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर ही रहेगा ।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० **लालूमानजी विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखण्ड (2003) बॉल्यूम 2 एस.सी.सी. पेज-401** में **साक्ष्य को** तीन श्रेणियों में बांटे जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है –

पहला— पूर्ण विश्वसनीय साक्षी । **दूसरा—** पूर्ण अविश्वसनीय साक्षी । **तीसरा—** न तो पूर्ण विश्वसनीय और न ही पूर्ण अविश्वसनीय । और यह स्पष्ट किया है कि प्रथम दो श्रेणियों में कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि प्रथम में साक्षी पर विश्वास करना होता है और दूसरी में अविश्वसास करना होता है । कठिनाई तीसरी श्रेणी के साक्षी में आती है और ऐसे में न्यायालय को साक्षी की अभिसाक्ष्य की पुष्टि देखनी चाहिये चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, ऐसे में इस मामले में भी यह देखना होगा कि क्या अन्य अभियोजन साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन के कथानक मुताबिक बताये गये आरोपीगण के संबंध में मामले को स्थापित करती है या नहीं करती है ।

19. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लैण्डमार्क जजमेन्ट **शरद बिरदी चंद शारदा विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1984 सु.को. 1622** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाणन के लिए पांच. स्वर्णिम सिद्धांत बताए गये हैं :-

20. The following conditions must be fulfilled before a case against an accused based on circumstantial evidence can be said to be fully established;

- (1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established.
- (2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.
- (3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.
- (4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and
- (5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. Case law discussed.

21. परीक्षित साक्षियों में से मृतक के छायाचित्र लेने वाले साक्षी महेन्द्र कुशवाह अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया है कि वह रामदास कुशवाह की झण्डू मोहल्ला कस्बा मौ में स्थित फोटोग्राफी की दुकान पर काम करता है और सीखता है और उसे 6-7 महीने काम सीखते हुए हो गये हैं, जो 17 वर्षीय अवयस्क है, उसने यह बताया है कि उसे पुलिस के दीवानजी मृतक के फोटो निकलवाने के लिए ले गये थे और उसने ग्राम पडरिया में जाकर एक मृत व्यक्ति के अलग-अलग कोंण से छायाचित्र डिजीटल कैमरे से लिये थे, जिसे वहां मौजूद व्यक्ति अशोक नाम का बता रहे थे । लिये गये छायाचित्र उसने पॉजीटिव कॉपी बनाकर पुलिस को दे दिये थे, उसका यह भी कहना है कि 2-4 मृत व्यक्तियों के वह पुलिस के हने पर फोटो निकाल चुका है, फोटो निकालने का कोई प्रमाणपत्र या बिल रसीद नहीं दी थी और उसने फोटोग्राफी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, अभिलेख पर प्रस्तुत छायाचित्र मृतक अशोक के न होने संबंधी कोई विवाद नहीं है और चिकित्सीय साक्ष्य के विश्लेषण मुताबिक अशोक शर्मा की दिनांक-24/02/2014 को मृत होना माना जा चुका है, इसलिये उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य के अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तथा उसके अविश्वसनीय होने का कोई दोषप्रभाव नहीं है ।

22. प्रदर्श पी.-01 सफीना फॉर्म और प्रदर्श पी.-02 लाश पंचायतनामा के संबंध में रिषीकेश अ.सा.-2, रामशरण शर्मा अ.सा.-7, रामौतार अ.सा.-8, संजय शर्मा अ.सा.-11 और ए.एस.आई. प्रमोद भदौरिया अ.सा.-14 ने कथन किए हैं, जिनके कथनों में इस संबंध में

एकरूपता है, पर अशोक शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी गाम पउरिया की मृत्यु हो गयी थी और उसकी लाश का पंचनामा उसके सामने बनाया गया था । हालांकि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई । जैसा कि अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य में आया है। उक्त साक्षियों के कथनों से भी मृत्यु की पुष्टि होती है, किन्तु मृतक आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा मारपीट के फलस्वरूप हुई यह विश्लेषित करना होगा ।

23. घटना की सूचना देने वाले रामशरण शर्मा अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण एवं मृतक को पहचानना बताते हुए कहा है कि मृतक उसका चचेरा भाई था और दिन के करीब 12 बजे का समय रहा होगा, वह अपने पशु वाले गौडा में था, तब बाहर से हल्ला-गुल्ला सुनाई दिया था, तब वह अपने मकान के सामने आया था, वहां आर0सी0सी0 की सड़क ग्राम पंचायत की ओर से बन रही थी । वहां पर उसने अपने चचेरे भाई अशोक को मृत अवस्था में देख था । वहां गांव के लोग भी मौजूद थे, आरोपीगण में से कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था और भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया था, तब पुलिस ने आकर घटना के बारे में उससे पूछताछ की थी तो गांव वालों ने पुलिस को बताया था कि नवलकिशोर, गुटाली उर्फ रामदुलारे, भीकाराम, सतेन्द्र, मृतक अशोक से लड रहे थे, लेकिन उसने कोई लड़ाई झगडा नहीं देखा था । प्रदर्श पी.-8 की देहाती नालासी रिपोर्ट में उसने ए से ए भाग के हस्ताक्षर स्वीकार करते हुए यह कहा है कि पुलिस ने प्रदर्श पी.-9 का नक्शा मौका भी बनाया था और उसका बयान लिया था, किन्तु प्रदर्श पी.-8 के संबंध में उसने पैरा-3 में यह कहा है कि वह पढा लिखा नहीं है, केवल हस्ताक्षर कर लेता है और देहाती नालासी उसने लिखायी थी । पैरा-4 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक-24/02/2014 की थी और उस दिन उसके घर के सामने आम रास्ता पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे । इस बात से भी इंकार किया है कि उसने अपने गौडा में से ही देखा था, कि जो मुरम पंचायत की तरफ से डलवाई जा रही थी और निर्माण कार्य चल रहा था, तो मृतक अशोक ने आरोपीगण से यह कहा था कि वे मुरम डालने से क्यों रोक रहे हो, जिसपर से आरोपीगण ने उसे गालियां दी थी और यह कहा था कि आज उसे खत्म कर देते हैं और फिर जान से मारने की नियत से लातघूसों से उसकी मारपीट की, इस तरह की घटना से देखने से और पुलिस को बताने से उसने इंकार करते हुए कथानक का खण्डन किया है ।

24. अ0सा0-7 ने पैरा-5 में यह तो स्वीकार किया है कि उनकी ग्राम पंचायत की सरपंच का पुत्र संजय है । लेकिन संजय ने पुलिस

को सूचना दी या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है । उसने प्रदर्श पी.-8 का भाग " कि देखाखत्म कर दिया है " पुलिस को लिखने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा प्रदर्श पी.-10 का कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया है और पैरा-7 में यह कहा है कि उसके गौडा से घटनास्थल करीब 10 मीटर दूरी पर है। जहां से घटनास्थल दिखाई नहीं देता है । यह भी स्वीकार किया है कि उसके चचेरे भाई मृतक अशोक से आरोपीगण का कोई विवाद नहीं हुआ था और उसने आरोपीगण के नाम देहाती नालसी रिपोर्ट या पुलिस कथन में नहीं लिखाया तथा यह भी कहा कि पुलिस उसके पहुंचने के करीब डेढ़ घण्टे बाद आया था और 2-3 कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये, उसमें क्या लिखा था, यह पुलिस ने उसे नहीं बताया था ।

25. इस तरह से उक्त साक्षी के देहाती नालसी प्रदर्श पी.-8 पर मात्र हस्ताक्षर ही प्रमाणित होते हैं, किन्तु उसके विवरण की उसने कोई पुष्टि नहीं की है, जबकि प्रदर्श पी.-8 देहाती नालसी लिखने वाले उपनिरीक्षक सोनपाल सिंह अ.सा.-12 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श पी.-8 की देहाती नालसी रिपोर्ट रामशरण शर्मा के लिखने पर से लेखबद्ध करना बताया है और रामशरण की निशादेही पर ही प्रदर्श पी.-09 का नक्शा मौका ही तैयार करना बताया है । प्रदर्श पी.-09 का अवश्य रामशरण अ.सा.-7 समर्थन करता है, किन्तु देहाती नालसी के विवरण से वह इंकार करता है, जिसमें आरोपीगण के नाम अंकित बताये गये हैं और सड़क पर मुरम डालने के ऊपर से विवाद को लेकर आरोपीगण और मृतक अशोक का झगडा बताया गया है, जिसमें आरोपीगण ने मृतक अशोक की लातघूसों से मारपीट की थी। ऐसे में अ.सा.-12 के अभिसाक्ष्य से प्रदर्श पी.-8 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है तथा पैरा-4 और 5 में अ.सा.-12 ने लाश की स्थिति परिवर्तित होते रहने के बारे में तथ्य प्रकट किए हैं, जिनका प्रदर्श पी.-8 में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे में उसकी कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है और अ.सा.-12 के अभिसाक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं होती है ।

26. घटनास्थल पर ग्रामीणजन की उपस्थिति बतायी गयी है, जिसमें से रिषीकेश अ.सा.-2 जो लाशपंचनामा का साक्षी था, उसने पैरा-3 में आरोपीगण के द्वारा की गयी मारपीट से अशोक की मृत्यु अंदरूनी चोटों से होने की राय देने से इंकार करते हुए कहा है कि जिस दिन अशोक की मृत्यु हुई थी, उस दिन आरोपीगण गांव में ही नहीं थे तथा अशोक की मृत्यु बीमारी के कारण हुई और अशोक की मृत्यु जहां खरंजा निर्माण हो रहा था, वहां नहीं हुई, घर पर हुई और अशोक की किसीने या आरोपीगण ने मारपीट नहीं की, इसके अलावा गांव के देवी सिंह अ.सा.-3 ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है ।

27. उसने भी केवल अशोक की मृत्यु होने की बात बताते हुए यह कहा है कि घटना वाले दिन वह गांव में नहीं था, बल्कि अपना इलाज कराने के लिए ग्राम गडरौली गया था और शाम को जब लौटकर आया था, तब गांव वालों ने बताया था कि अशोक खत्म हो गया है, लेकिन अशोक की मृत्यु कैसे हुई, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है, उसने पुलिस को प्रदर्श पी.-3 का कथन देने से इंकार किया और इस बात से भी इंकार किया है कि उसे गांव लौटकर आने पर यह पता चला था कि आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी, बल्कि पैरा-3 में उसने अशोक का पिछले 7-8 साल से बीमार चलना, चलने-फिरने में असमर्थ हो जाना और घर पर ही लेटे रहना बताते हुए किसी मुंहवाद से इंकार किया है। उक्त साक्षी के कथन मुताबिक वह गांव में ही घटना वाले दिन नहीं था, इसलिये उसके द्वारा यह बताया जाना कि कोई मुंहवाद नहीं हुआ, अस्वभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति उपस्थित ही न हो, उसे इस तरह की बात का स्पष्टीकरण देना चाहिये कि उसे कैसे जानकारी हुई? हालांकि प्रदर्श पी.-3 के पुलिस कथन से वह मुकर गया है, इसलिये इससे अभियोजन का कोई पक्ष समर्थन नहीं है।

28. चतुराबाई अ.सा.-5 भी ग्राम पडरिया की निवासी है, जिसने भी अपने कथन में मृतक अशोक की मृत्यु हो जाना तो बताया है, किन्तु मृत्यु कैसे हुई, इसकी उसे जानकारी नहीं है, वह ऐसा सुनना बताती है कि अशोक बीमार थे, इसलिये खत्म हो गये, उक्त साक्षिया अ.सा.-3 की पत्नी है, जिसने घटना वाले दिन अपने पति का दवाई के लिए बाहर जाना बताया है और यह कहा है कि वह स्वयं बकरियां लेकर हार में चली गयी थी, शाम को लौटकर आयी थी, पर उसने इस बात से इंकार किया है कि जब वह शाम को हार से लौटकर आयी थी, तब गांव वालों ने उसे यह जानकारी दी कि गांव में झगडा हुआ और अशोक खत्म हो गये। बल्कि वह अशोक की मृत्यु के संबंध में कोई बातचीत इंकार करते हुए प्रदर्श पी.-5 का पुलिस कथन देने से इंकार किया है और उसने भी मृतक अशोक का 10-05 साल से गंभीर बीमारी का इलाज चलना बताया है। क्या बीमारी थी, उसे पता नहीं है, उसने भी झगडा होने की बात का खण्डन किया है, उसे भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी किया गया है। इस तरह से ग्रामीणजन के दोनों साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं है।

29. मृतक के सगे भाई रामौतार अ.सा.-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में मृतक अशोक की मृत्यु होना तो बताया है और मृत अवस्था में उसे दखेता तो बताया है और यह कहा है कि वह अपने खेत पर था तथा घर की तरफ जब आ रहा था तो रास्ते में माता मंदिर के पास उसने

अपने भाई अशोक को मृत अवस्था में रामशरण, भागीरथ और भागीरथ के मकानों के पास आम रास्ता के बीच में पड़ा देखा था, जो खत्म हो गया था और काफी भीड़ थी, तब उसने पूछा था कि अशोक कैसे खत्म हो गया, तो उन लोगों ने यह बताया था कि वे अभी आये हैं और उन्हें मृत अवस्था में पड़े अशोक मिला है फिर संजय सरपंच को फोन किया गया था, जो मौके पर आ गया था और अशोक को देखा था फिर संजय ने पुलिस को मोबाइल से सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस ने आकर कार्यवाही की थी । उक्त साक्षी ने प्रदर्श पी.-1 और 2 सफीना फॉर्म, लाश पंचायतनामा का साक्षी है और शव परीक्षण उपरांत उसे लाश सुपुर्दगी में भी मिली थी, जिसकी उसने प्रदर्श पी.-11 की रसीद दी थी किन्तु उक्त साक्षी ने भी कथानक का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि वह अधिकांश समय खेत पर रहता है, गांव में कभी कभी जाता है, उसके भाई अशोक का किसी से कोई विवाद नहीं था, न कोई विवाद हुआ, न आरोपीगण से मुंहवाद हुआ, न आरोपीगण ने मारपीट की और उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पंचायत द्वारा आम रास्ता में मुरम डलवाई जा रही थी, या नहीं । इस बात से भी स्पष्ट रूप से उसने इंकार किया है कि मंदिर के पास से उसने देखा था कि उसके भाई अशोक की आरोपी नवल उर्फ नेपाली, गुटाली उर्फ रामदुलारे, भीखाराम, सतेन्द्र ने मिलकर गाली गलौज कर लातघूसों से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर दी । ऐसी बात उसने पुलिस को लिखाने से इंकार करते हुए प्रदर्श पी.-12 का पुलिस को कथन देने से इंकार किया है, इस तरह से मृतक के चचेरे भाई द्वारा भी कथानक का समर्थन नहीं किया गया है ।

30. घटना दि. को घटनास्थल वाली सड़क पर ट्रैक्टर से काम करने वाले मेघ सिंह अ.सा.-10 को अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है, और यह बताया है कि वह खरंजा के लिए ट्रैक्टर से मुरम फैलाने का काम कर रहा था, जिसने घटना के बारे में कथन किया है कि दिन के 10-11 बजे भीकाराम ने ट्रैक्टर नहीं चलाने और हटाने का विवाद किया था, अशोक ने रोका था तो उसी पर उसकी आरोपीगण ने मारपीट की थी, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गये थे और उसकी मृत्यु हो गयी थी, किन्तु उक्त साक्षी ने पक्ष विरोधी होते हुए इस तरह की घटना घटित होने से इंकार किया है कि दि.-24/02/2014 को वह अपने ट्रैक्टर से मुरम फैलाने का काम कर रहा था, उसने घटना देखने से भी स्पष्टतः इंकार कर दिया है । इस तरह से उक्त साक्षी के द्वारा भी घटना का कोई समर्थन नहीं है, जबकि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है ।

31. संजय शर्मा अ.सा.-11 के अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसकी मां ग्राम मसूरी पंचायत की जनवरी 2009 से सरपंच है और

ग्राम पडरिया उनकी पंचायत में आती है, इसलिये मृतक अशोक को वह जानता था, लेकिन अशोक शर्मा की मृत्यु कैसे हो गयी, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पैरा-2 में यह तो स्वीकार किया है कि उसके पास मोबाइल फोन है, जिसका नंबर-9009829232 है और उसने अपने घर से ही पुलिस को फोन से सूचना दी थी कि एक व्यक्ति की ग्राम पडरिया में मृत्यु हो गयी है, लेकिन उसे यह याद नहीं है कि उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पडरिया में मुरम डालकर सड़क बनाने का काम कराया जा रहा था, या नहीं। उसने इस बात से इंकार किया है कि घटना के 20 दिन पूर्व जब वह सड़क डालने के लिए सफाई करवा रहा था कि उनके घर के पास की जमीन नहीं हटाने दी और न ही वहां मुरम डालने दी। इस बात से भी उसने इंकार किया है कि घटना के दो दिन पहले भीखाराम और नवलकिशोर का अशोक शर्मा से विवाद हुआ था, उसने प्रदर्श पी.-15 का पुलिस को कथन देने इंकार करते हुए अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। इस तरह से उक्त साक्षी को भी मृतक अशोक की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

32. मृतक अशोक शर्मा के पुत्र राधेश्याम शर्मा अ.सा.-15 और दिनेश कुमार अ.सा.-16 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने भी आरोपीगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है और उन्हें भी घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पिताजी बीमारी के कारण खत्म हुए थे, इस बात से उन्होंने भी इंकार किया है कि गांव में सड़क बनाने के लिए मुरम डाली जा रही थी, जिसका आरोपीगण और भीकाराम विरोध करते हैं। इस बात से भी इंकार किया है कि इसी बात पर हुए विवाद में आरोपीगण ने उसके पिता की लातघूसों से जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी और उनके पिता की हत्या करके भाग गये थे। राधेश्याम शर्मा ने प्रदर्श पी.-18 और दिनेश शर्मा ने प्रदर्श पी.-19 के पुलिस को कथन देने से इंकार किया है।

33. इस तरह से प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी मृतक के पुत्र, भाई, गांव के चक्षुदर्शी साक्षियों में से किसीके द्वारा भी आरोपीगण के विरुद्ध मृतक अशोक के साथ मारपीट करने या कोई विवाद करने की घटना नहीं बतायी है और उन्होंने अभियोजन कथानक का इस संबंध में लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है, अन्य साक्षियों में से आरक्षक राजेश कुमार अ.सा.-13 एवं आरक्षक प्रदीप पचौरी अ.सा.-17 और टी.आई. कुशल भदौरिया अ.सा.-18 आरोपीगण नवलकिशोर रामदुलारे की गिरफ्तारी के साक्षी हैं। गिरफ्तारी विवादित नहीं है और गिरफ्तारी मात्र से यह पुष्टि नहीं होती है कि आरोपीगण के द्वारा मृतक के साथ कोई मारपीट की घटना की गयी,

क्योंकि आरोपीगण की घटना दि० को गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि दि०-13/3/2014 को हुई है और घटना दि०-24/2/2014 की है तथा ऊपर विश्लेषित साक्षियों के कथनों में यह तथ्य भी आया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण गांव में नहीं थे।

34. इसके अतिरिक्त टी.आई. कुशल भदौरिया अ.सा.-18 ने अपने अभिसाक्ष्य में साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताया है, किन्तु उसकी कार्यवाही का किसी भी संबंधित साक्षी के द्वारा कथानक मुताबिक कोई समर्थन नहीं किया है और उसने भी यह पैरा-3 में स्वीकार किया है कि मृतक के शरीर पर कोई चोटें दिखाई नहीं दे रही थी तथा उसने मौके पर आसपास के व्यक्तियों से घटनावाले दिन कोई पूछताछ नहीं की थी क्योंकि फरियादी और उनके परिजन द्वारा अत्यधिक आक्रोश पैदा करने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गयी थी इसलिये आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु तलाश में लग गये थे इसलिये उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से उक्त सुसंगत तथ्य की पुष्टि नहीं होती है, जो घटना से आरोपीगण की कड़ी को जोड़ सके ।

35. ए०एस०आई० प्रमोद भदौरिया के द्वारा घटनास्थल पर जाकर मृतक के लाश पंचनामा की कार्यवाही के लिए प्रदर्श पी.-1 का सफीना फॉर्म जारी कर पंचों को आहूत करना और लाश पंचायतनामा बनाना और शव परीक्षण के लिए प्रदर्श पी.-04 का आवेदनपत्र तैयार करना और फोटोग्राफर बुलाकर मृतक के फोटो निकलवाना बताया है, जोकि औपचारिक स्वरूप का साक्षी है ।

36. इस तरह से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये सभी 18 साक्षियों के क्रमबद्ध तरीके से साक्षियों के मूल्यांकन करने पर इस बारे में कोई भी सुदृण साक्ष्य नहीं है कि दिनांक-24/02/2014 को दिन के 11-12 बजे के दरम्यान ग्राम पडरिया जो कि थाना मौ के क्षेत्रांतर्गत आता है, उसमें ग्राम पंचायत द्वारा सडक पर मुरम डलवाने का कार्य कराया जा रहा था, क्योंकि तीनों संबंधित साक्षी संजय शर्मा अ.सा.-11 जो कि सरपंच का पुत्र होकर कार्य करवाने वाला बताया गया है और मेघ सिंह अ.सा.-10 जिसके द्वारा ट्रैक्टर से मुरम डालने का कार्य करना बताया गया है, इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है तथा मुरम डालने के ऊपर से आरोपीगण और मृतक के मध्य विवाद होने की स्थिति भी किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य में नहीं आयी । मृतक के शरीर पर उभरी हुई कोई चोट नहीं पायी गयी है, न ही संघर्ष के चिन्ह पाये गये हैं और चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी कोई समर्थन नहीं किया गया है इसलिये विचाराधीन आरोपीगण के संबंध में अभियोजन का संपूर्ण मामला पूर्णतः संदिग्ध होकर उनकी स्वयं की साक्ष्य से खण्डित होती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार

पर यदि विचार किया जाये तो प्रकरण में मृतक की मृत्यु का आरोपीगण से किसी भी रूप से कढ़ी में जोड़ना कतई प्रमाणित नहीं होता है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० कांतिलाल विरूद्ध स्टेट आफ गुजराज एआईआर 2003 एस.सी. पेज-684 एवं मान. म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ. गोलू विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2003 भाग-2 जे.एल. पेज-218 में यह मार्गदर्शन दिया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में श्रंखला पूरी होनी चाहिये और वह श्रंखला संदेह से परे प्रमाणित होनी चाहिये। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, उसके बावजूद भी कोई श्रंखला पूरी नहीं है, इसलिये घटना आरोपीगण के संबंध में भा०द०वि० की धारा-300 के चारों खण्डों में से किसीके भी अंतर्गत आना नहीं पाया जाता है। आरोपीगण का किसी विधि विरूद्ध जमाव का गठन का सदस्य होना भी प्रमाणित नहीं है, उनके द्वारा कोई बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना भी प्रमाणित नहीं है, न ही मृतक को मृत्यु कारित करने का आपस में मिलकर कोई सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसे अग्रसर करने की स्थिति प्रकट हुई है।
38. अतः आरोपीगण को विचाराधीन आरोपों में दोषसिद्ध करने के लिए कोई सुदृण व विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर अभियोजन की नहीं है, इसलिये आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए धारा-147, 294 एवं 302/149 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
39. आरोपीगण नवलकिशोर शर्मा एवं रामदुलारे शर्मा उर्फ गुटाली शर्मा के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
40. प्रकरण में निराकरण के लिए संपत्ति जब्त नहीं है।
41. प्रकरण में शेष आरोपीगण भीखाराम एवं सतेन्द्र शर्मा फरार हैं अतः प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।
42. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: **27अप्रैल 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड